समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक................/गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक ....

विषय : दिनांक 05-04-2016 को 11:00 बजे पूर्वा0 में प्रखण्ड /अंचल में मदिरा सेवन के विरूद्ध प्रखण्ड एवं अंचल स्तर पर संकल्प समारोह आयोजित कराने के संबंध में।

प्रसंग : मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4878, दिनांक 01-04-2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 30-03-2016 को बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 को पारित करने के दौरान समस्त विधान मंडल में मदिरा सेवन न करने का संकल्प लिया गया था तथा सरकार का निर्णय है कि इसी आशय का संकल्प सरकार के समस्त पदाधिकारी /कर्मी भी लें, फलस्वरूप सामूहिक संकल्प लेने की तिथि 05-04-2016 को 11:00 बजे पूर्वा0 में तय की गई है, संकल्प का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी को दिनांक 05-04-2016 को 11:00 बजे पूर्वा0 में प्रखण्ड /अंचल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराना सुनिश्चित करें। समारोह के पश्चात् 11:30 बजे पूर्वा0 तक ई-मेल के माध्यम से प्रतिवेदन भेंजे कि कितने पदाधिकारी /कर्मी उक्त शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए।

अनुलग्नक : मदिरा सेवन के विरूद्ध संकल्प की प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक ....825 सपठित..../गो0, मधेपुरा, दिनांक 02/04/2016

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 2/4/16

E/ Khalid/2016/Letter -124-

पत्र संख्या 18/विवि-08-05/2016 [illegible]

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक 01/04/2016.

विषय :— मदिरा सेवन के विरुद्ध संकल्प।

महाशय,

आप अवगत हैं कि दिनांक 30.03.2016 को बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 को पारित करने के दौरान समस्त विधान मंडल में मदिरा सेवन न करने का संकल्प लिया गया था।

2. सरकार का निर्णय है कि इसी आशय का संकल्प सरकार के समस्त पदाधिकारी/कर्मी भी लें। सामूहिक संकल्प लेने की तिथि सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 05.04.2016 को 11.00 बजे तय की गई है। संकल्प लेने की प्रक्रिया निम्न होगी:—

i) मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव के नेतृत्व में मुख्य सचिवालय स्थित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी संकल्प लेंगे।

ii) अन्य सचिवालय भवनों में सभी विभागीय सचिव (विभागाध्यक्ष) कार्यालय में या कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को बुलाकर संकल्प लेंगे।

iii) प्रमंडलीय मुख्यालयों के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय एवं सभागारों में उपस्थित होकर इस संकल्प को पढ़ेंगे।

iv) जिला स्तर पर संकल्प दिलाने का काम जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी जिलाधिकारी कार्यालय एवं सभागार में उपस्थित होकर संकल्प को पढ़ेंगे।

v) इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि:—

  क) अनुमंडल स्तरीय कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मी अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में संकल्प लेंगे।

  ख) यह संकल्प प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी लेंगे।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि संकल्प पूरे राज्य में एक ही दिन दिनांक 05.04.2016 को समय 11.00 बजे पढ़ा जाए एवं सभी संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन उसी दिन 12.00 बजे दिन के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को फैक्स द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

4. संकल्प का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनु0 : यथोक्त।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संकल्प

मैं निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करूँगा /करूँगी क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा /करूँगी।